| Name of the State | 1991 -92 | 1992-93 | 1993-94 |
|---|---|---|---|
| 14. Manipur | 8.76 | 10.29 | 13.60 |
| 15. Meghalaya | 10.61 | 12.64 | 16.00 |
| 16. Mizoram | 3.68 | 4.38 | 5.88 |
| 17. Nagaland | 4.90 | 5.83 | 7.41 |
| 18. Orissa | 220.80 | 262.35 | 335.25 |
| 19. Punjab | 87.13 | 103.32 | 132.77 |
| 20. Rajasthan | 246.74 | 293.51 | 373.79 |
| 21. Sikkim. | 1.51* | 1.83* | 2.14* |
| 22. TamilNadu | 404.72 | 481.19 | 613.73 |
| 23. Tripura | 15.45 | 18.41 | 23.31 |
| 24. Uttar Pradesh | 857.81 | 1015.59 | 1311.29 |
| 25 West Bengal | 407.13 | 483.63 | 618.46 |
| TOTAL . . | 5105.84 | 6059.45 | 7771.27 |

NOTE : The share paid to Government of Sikkim was returned by the State Govt, stating that the enforcement of direct taxes to the State is pending.

**कच्चे माल पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि**

4415. **श्री रामजी लाल** : : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बजट में कच्चे माल पर उत्पाद शुल्क बढ़ा रही है और क्या इससे उद्योगों पर दोहरा कर-भार पड़ेगा तथा भारतीय उद्योग विफल होने लगेंगे;

(ख) क्या सरकार बजट पारित करते समय इस तरह के शुल्क को हटाने का विचार करती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इस बढ़े हुए भार से उद्योगों को राहत देने के लिए कोई अन्य योजना बनायी है ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति)**: (क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ में कच्ची सामग्री के लिए कोई विशिष्ट प्रविष्टि नहीं है । इस वर्ष के बजट में रसायन, लोहा और इस्पात जैसे कुछेक माल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाया गया है । सिन्थेटिक आर्गानिक डाई स्टफ, एल्युमिनियम आदि जैसे कुछेक माल के मामले में, उत्पाद शुल्क में कमी आई है । चूंकि कच्ची सामग्री पर अदा किया गया उत्पाद शुल्क अंतिम उत्पादों पर शुल्क की अदायगी के लिए सामान्यतया मॉडवेट क्रेडिट के रूप में उपलब्ध होता है अतः ऐसे माल पर शुल्क की दरों में परिवर्तन होने से, जिसे उद्योग द्वारा माल का आगे विनिर्माण करने के लिए कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है, तब तक भारतीय उद्योगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक तैयार उत्पाद को शुल्क से छूट नहीं दी जाती है ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, ये प्रश्न नहीं उठते ।

**उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति बैंक ऋण**

4416. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति बैंक ऋण कितना था और पिछले दो वर्षों के दौरान प्रति व्यक्ति औसत बैंक ऋण कितना रहा है; और

(ख) उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति बैंक ऋण बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं और सरकार अपने प्रयासों में कितनी सफल रही है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति)** : (क) और (ख) भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के लिए जनसंख्या अनन्तिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए प्रति व्यक्ति ऋण से संबंधित आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

| अवधि | प्रति व्यक्ति ऋण (रुपए) |
|---|---|
| मार्च 1991 | 668 |
| मार्च 1992 | 706 |
| मार्च 1993 | 756 |

यह माना गया है कि पिछले दो वर्षों के दौरान औसत बैंक ऋण के संबंध में मांगी गई और सूचना बैंकों द्वारा समग्र रूप से देश में प्रदान की गई प्रति व्यक्ति ऋण राशि के संबंध में है। 1991 की जनगणना के आधार पर 1992 और 1993 के के लिए ये आंकड़े क्रमशः 1684 रुपए और 1964 रुपए हैं।

ऋण जमा अनुपात में समयबद्ध सुधार करने हेतु सिफारिशें करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त, 1992 में उत्तर प्रदेश में ऋण जमा अनुपात समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह पाया कि कृषि को ऋण देने के लिए अपेक्षित आधारभूत समर्थन पूर्ण रूप से विकसित है और इसके परिणामस्वरूप यह क्षेत्र अपनी पूर्ण संभाव्यता तक ऋण खपाने की स्थिति में है। लेकिन उद्योग के लिए यह सही नहीं है। इसके परिणाम-स्वरुप ऋण जमा अनुपात में समग्र सुधार धीरे-धीरे और अनियमित है। तदनुसार समिति ने सिफारिश की कि सरकार और बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे आधारभूत सुविधाओं, विकास संयोजनों और ऋण वितरण के प्रावधानों में हस्तक्षेप करें और अपने प्रयासों में काफी तेजी लायें।

**Opening of more Regional Rural Banks in U.P.**

4417. SHRI ISH DUTT YADAV : Will he Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government propose to open more Regional Rural Banks in Uttar Pradesh during the current financial year: and

(b) if so, what are the details thereof including the details of the districts of U.P. where they are likely to be opened ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

**कर्जदारों द्वारा बैंक ऋण का दुरुपयोग**

4418. **चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्जदारों द्वारा बैंक ऋणों के दुरुपयोग के मामले बैंकों के सामने आये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले दो वर्षों के संबंध में बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि ऋण के दुरूपयोग के मामलों में चूककर्ता अधिकारी के खिलाफ कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो पिछले दो वर्षों के दौरान की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्र-शेखर मूर्ति) :** (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनके निरीक्षणों से बैंकों के ऋण प्रबंधन की कमियों का पता चलता है। इन कमियों में, कुछ ऋणकर्ताओं द्वारा, मंजूर किए गए ऋण का अपेक्षित प्रयोजन के बजाय इसके प्रयोजन के लिए प्रयोग कर ऋण का दुरूपयोग करना शामिल है।

(ख) ऐसी कमियों के संबंध में पिछले दो वर्षों के लिए बैंक-वार ब्यौरे के संकलन में आवश्यक प्रयास समय खपाने वाले होंगे और प्राप्त होने वाले परिणाम उसके अनुरूप नहीं होंगे।

(ग) और(घ) यदि बैंकों द्वारा मंजूर किए गए ऋण का दुरूपयोग किए जाने के बारे में बैंक का अधिकारी किसी ऋणकर्ता के साथ शामिल होने या उसके साथ सांठ-गांठ में शामिल हुआ पाया जाता है तो स्थापित नियमों के अनुसार संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अलग-अलग बैंकों द्वारा कार्रवाई की जाती है।

**उत्तर प्रदेश में किसानों को बैंक ऋण**

4419. **चौधरी हर मोहन सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 और जनवरी, 1994 तक की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में किसानों को विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण के रूप में कुल कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान कितने लाभग्राही किसानों को ऋण दिया गया है;

(ग) कितने किसानों को उनके आवेदन करने के क्रमशः एक, दो और तीन महीनों की अवधि के भीतर ऋण उपलब्ध करा दिये गये हैं;

(घ) क्या किसानों को समय पर ऋण मिलने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(ङ) यदि हाँ, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?